दिनांकः 16.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस द्वारा गैंगस्टर के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर निर्देशन में जनपद में अपराध नियत्रण व गैंगस्टर के मुकदमों में वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा थाना नकुड़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 385/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के वाछित अभियुक्त मोबिन उर्फ भूरा पुत्र मुनफैद ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर विश्वकर्मा चौक से आगे पेट्रोल पम्प कस्बा नकुड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोबिन उर्फ भूरा पुत्र मुनफैद ग्राम धौलापडा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त मोबिन उर्फ भूरा उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0 02/24 धारा 307/147/148/149/120 बी भादवि , 3/25/27 आर्म्स एक्ट , 3/5ए/8 गौ हत्या निवारण अधि0, 11 पशु क्रुरता अधि0, चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2.मु0अ0सं0 155/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर स0पुर,
3.मु0अ0सं0 217/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना रामपुर मनिहारान स0पुर,
4.मु0अ0सं0 390/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना रामपुर मनिहारान स0पुर
5.मु0अ0सं0 423/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सरसावा स0पुर,
6.मु0अ0सं0 293/23 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना कोतवाली देहात स0पुर,
7.मु0अ0सं0 5/24 धारा 307/34/414 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर
8.मु0अ0सं0 315/12 धारा 307/379 भादवि व 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरसावा स0पुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार चीमा थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. का0 480 प्रवीण कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांक- 16.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 02 जिन्दा /01 खोखा कारतूस,100 ग्राम स्मैक, 01 सैन्ट्रो कार तथा 01 मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.11.24 को गश्त व चैकिंग के दौरान ग्राम खोसपुरा के पास गंगोह रोड पर सड़क के किनारे एक सैन्ट्रो कार खड़ी हुई थी, जिसके बराबर में 02 व्यक्ति खड़े थे तथा 01 व्यक्ति पल्सर मो0सा0 पर खड़ा था, जो देखने में संदिग्ध लग रहे थे तीनों व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे थे तथा पल्सर मो0सा0 पर खड़ा व्यक्ति सैन्ट्रो गाड़ी के पास खड़े व्यक्तियों को पालीथीन में कुछ सामान दे रहा था , शक होने पर इन व्यक्तियों को टोका तो तीनों लोग जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जबावी कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा फायरिंग करते हुए 02 शातिर अभियुक्तगण **1.वासिल उर्फ वाशिद पुत्र शमशाद निवासी खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर 2.दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों के कब्जे व निशादेही से 02 तमंचे 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 100 ग्राम अवैध स्मैक, 01 सैंट्रो कार, 01 बिना नम्बर प्लेट की पल्सर मो0सा0 बरामद हुई। अभियुक्तगण का तीसरा साथी घनी ईख व जंगल का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नकुड़ पर **मु0अ0सं0 404/24 धारा 109/111 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरूद्ध जनपद सहारनपुर में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रा रहा है।

पूछताछ का विवरण – अभियुक्तगण वासिल उर्फ वाशिद व दिलशाद उर्फ दिल्ला उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि हम लोग बाहर से स्मैक लाकर बेचने का काम करते हैं आज भी हम लोग अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर स्मैक बेचने के लिए जा रहे थे कि अचानक से पुलिस आ गयी। पकड़े जाने के डर से हमने भागने का प्रयास किया तथा पुलिस को अपने पीछे आता देख हमने बचने के लिए हम लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिये।पुलिस ने हमारा पीछा कर हम दौनो को पकड़ लिया तथा हमारा एक अन्य साथी भाग गया हमारे पास जो स्मैक थी, वह पुलिस ने हमसे बारमद कर ली।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. वासिल उर्फ वाशिद पुत्र शमशाद निवासी खानपुर गुर्जर थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. दिलशाद उर्फ दिल्ला पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बाढी माजरा थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 तमंचे 315 बोर
- 01 खोखा कारतूस 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 100 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 सैन्ट्रो कार (रजि0 न0 HR06U 3395)
- 01 पल्सर मोटर साईकिल (बिना नम्बर प्लेट)

अभियुक्त वासिल का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 406/22 धारा 174ए भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।

अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्ला का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 212/23 धारा 147,148,149,323 भादवि थाना गंगोह, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 239/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गंगोह, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री माजिद अली थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
5. है0कां0 971 राशिद अली थाना नकुड जनपद सहारनपुर
6. है0कां0 552 हरेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर
7. कां0 2555 राहुल थाना नकुड जनपद सहारनपुर

दिनांकः 16.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमें में वाछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद।

अवगत कराना है दिनांक 13.11.2024 को वादिया श्रीमती सन्नो पत्नी इस्तियाक निवासी जैन कॉलोनी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत कलीम पुत्र कालू निवासी भूरा वाली मस्जिद खाताखेडी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया के पति इस्तियाक के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने व जान से मारने की नियत से चाकू से हमला करने के सम्बन्ध मे थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 438/2024 धारा 109/352/351(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तो शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.11.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए जानलेवा हमले का आरोपी **कलीम पुत्र कालू उर्फ अख्तर निवासी भूरा वाली मस्जिद खाताखेडी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर मूल निवासी खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को परवेज की आरा मशीन के नजदीक सकलापुरी रजवाहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्मस एक्ट की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्त कालिम उपरोक्त नें बताया कि इश्तियाक मेंरे फूफा के लडके है। हम दोनों देवबन्द के रहने वाले है तथा सहारनपुर में हम दोनों पास-पास ही किराये का मकान लेकर काम कर रहे है इश्तियाक को शक है कि मै उसकी पत्नी से बात करता हूँ इस कारण वह मुझे रंजिश रखता है व आये दिन शराब पीकर मुझे गाली गलोच करता है काफी दिनों तक मै उसकी गाली गलोच सुनता रहा मगर जब दिनांक 13.11.24 की शाम को वह अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो रास्ते में वह दोनों मुझे मिले और इश्तियाक ने मुझे देखते ही गाली गलोच करनी शुरू कर दी जिसपर मैंने उसे गाली देने से मना किया तो इश्तियाक ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सोचा कि आज इसका काम ही तमाम कर देता हूँ व मै घर पर जाकर रखा चाकू जो आपने मुझसे बरामद किया है उसे लेकर आया व मैंने इश्तियाक व उसकी पत्नी पर जान से मारने की नियत से चाकू से कई वार किये थे। और वहां से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

कलीम पुत्र कालू निवासी भूरा वाली मस्जिद खाताखेडी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर मूल निवासी खानकाह कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरांदगी का विवरणः-

- 01 नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 232/18 धारा 18/21/22 एनडीपीएस एक्ट जीआरपी थाना सहारनपुर ,

2. मु0अ0सं0 782/14 धारा 324/452/506 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ,
3. मु0अ0सं0 359/10 जीआरपी थाना सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 202/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 153/14 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना जीआरपी सहारनपुर ,
6. मु0अ0सं0 154/14 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी सहारनपुर ,
7. मु0अ0सं0 200/14 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना जीआरपी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अतुल कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

दिनांक 16.11.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.11.2024 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी **अभियुक्त अल्ताफ पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या- 925/2020 व 1478/21 धारा 125(3) सीआरपीसी माननीय न्यायालय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सहारनपुर को ग्राम चौबारा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अल्ताफ पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम चौबारा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विजय पाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 16.11.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल निर्देशन मे थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा साईबर कैफे संचालक से धोखाधडी कर पैसे ट्रांसफर कराने वाले **अभियुक्त आशू कौशिक पुत्र राजीव शर्मा निवासी ए-44 शान्तीनगर शिव विहार करावल दिल्ली 94** को गिरफ्तार किया गया । वादी शाहरुफ पुत्र याकूब नि0- मौहल्ला किला थाना देवबन्द की लिखित तहरीर के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 632/24 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त द्वार पूछताछ करने पर बताया गया कि दि0-15.11.2024 को जब मै ट्रेन से दिल्ली से हरिद्वार जा रहा था तो जब रेल देवबंद स्टेशन पर पहुंची तो मुझे आनलाइन गेम खेलने की तलब लगी, लेकिन मेरे खातें मे पैसे नही थे तो मै ट्रेन से उतर कर देवबंद कस्बे मे आ गया और मैने कई जगह लोगो को झासे मे लेकर अपने खातें मे पैसे डलवाने चाहे तो किसी ने नही डाले, तब मै पैसे मनी ट्रांसफर की दुकान की तलाश करता हुआ शाहरूफ की दुकान पर आया, और अपने झांसे में लेकर उससे 96000/-रुपयें अपने खाते में ट्रासंफर करा लिये जिन्हे मैं आनलाइन गेम मे हार गया, जो 15000/-रुपयें मेरे पास बचें थे वो मैने वापिस कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

कौशिक पुत्र राजीव शर्मा निवासी ए-44 शान्तीनगर शिव विहार करावल दिल्ली 94

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

2.का0 पंकज कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर